न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 471 सन 2022

अनवान :–

1. दिनेश पुत्र हरांराज जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बजरगलाल पुत्र चुन्नीराम जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र बजरगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. पूजा पुत्री बजरंगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. सुन्दर पुत्री बजरगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5. दिक्षा पुत्री बजरंगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कूमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 171/171 कीक ुल 1.0120हैक व खाता संख्या 255/123 की कुल 5.300हैक व रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 122/1 की कुल 7.5900हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वज मामराज के नाम से दर्ज थी वादी के पूर्वज मामराज ने अपने हक हिस्सा की वाद भूमि व अन्य चकों की भूमियों को शामिल करते हुए परिवारिक समझौता कर बाहमी बटवारा कर दिया था जिसमें वाद भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है मामराज के पूत्र विराम को प्राप्त हुई थी।

वादी के पूर्वज मामराज का देहान्त हो चुका है जिसके दो पुत्र मोमनराम व विराम हुए दोनो का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान चुन्नीराम एव हसंराज हुए इनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है अर्थात वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 मामराज के वारिस है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पूर्वजो के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उनके पूर्वज मामराज के देहान्त होने पर विरारतन से प्राप्त हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 जो प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने पूर्वजो के द्वारा किये गये परिवारिक समझौता के अनुसार पुन परिवारिक समझौता किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 6 बारानी के खाता संख्या 171/171 एव रोही मौजा चक 17 केएनएन की भूमि वादी के पक्ष में बाहमी बटवारा के अनुसार त्याग कर दिया है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम में दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज मामराज के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के बाहमी बटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हको का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटववारा के अनुसार उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 171/171 कीक ुल 1.0120हैक व खाता सख्या 255/123 की कुल 5.300हैक व रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 122/1 की कुल 7.5900हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पूर्वजो के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उनके पूर्वज मामराज के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 जो प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने पूर्वजो के द्वारा किये गये परिवारिक समझौता के अनुसार पुन परिवारिक समझौता किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 6 बारानी के खाता संख्या 171/171 एव रोही मौजा चक 17 केएनएन की भूमि वादी के पक्ष में बाहमी बटवारा के अनुसार त्याग कर दिया है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 171/171 कीक ुल 1.0120हैक व खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

255/123 की कुल 5.300हैक व रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 122/1 की कुल 7.5900हैक मे से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मे दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उनके पूर्वज मामराज के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है प्रतिवादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है ।

वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज मामराज ने अपने जीवन काल में पारिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी के पूर्वज एवं प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई थी।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से पून पूर्व की भाती बाहमी बटवारा किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया है जिसे वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है जो वाद के अनुतोष में दर्ज है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अत: वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एव न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 171/171 की कुल 1.0120हैक एव रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 122/1 की कुल 7.5900हैक भूमि मे से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 255/123 की कुल 0.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना दहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. दिनेश पुत्र हसंराज जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बजरगलाल पुत्र चुन्नीराम जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र बजरगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. पूजा पुत्री बजरंगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. सुन्दर पुत्री बजरगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5. दिक्षा पुत्री बजरंगलाल जाति नाई निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 471 सन 2022 निर्णय दिनांक– 05/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 171/171 की कुल 1.0120हैक एवं रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 122/1 की कुल 7.5900हैक भूमि में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 255/123 की कुल 0.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner